प्रेस नोट

परित्यक्त बोर वेल एवं नलकूपों में छोटे बच्चों को गिरने से होने वाले जानलेवा दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु उठाए गए कदम

भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्‌वारा जारी संशोधित दिशा-निर्देशानुसार एवं माननीय समाहर्ता, दीव द्‌वारा दिये गए निदेशानुसार दीव की आम जनता को यह ध्यान में लाया जाता है कि वे लोग जो अपने मकानों या घरों में बोर वेल, नलकूप या गहरे कुएं बनाये हैं, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे अपने-अपने बोर वेल एवं नलकूपों को परित्यक्त, असुरक्षित एवं खुला न रखें । जिसके कारण छोटे बच्चों को इसमें गिरने से जानलेवा दुर्घटना घटित होती है ।

इसिलए, आम लोगों एवं खासकर छोटे बच्चों के बचाव एवं सुरक्षा के मद्देनजर दीव प्रशासन आम जनता से यह अपील करता है कि यदि किसी भी निवासी व्यक्ति के मकान/घरों में या आवसीय क्षेत्रों में कहीं भी कोई परित्यक्त या असुरक्षित या खुला हुआ बोर वेल, नलकूप या गहरा कुआं हैं, तो उसे तत्काल बंद कर दें या उसे भर दिया जाए या इसके चारों तरफ दीवार बनाएं या गिरिल लगा दी जानी चाहिए या तो इसे लोहे के ढक्कन से ढक दिया जाना चाहिए । ताकि ऐसी किसी भी जानलेवा दुघर्टना को रोका जा सके एवं आगे किसी भी अनहोनी घटनाओं से बचा जा सके ।

आपके सहयोग से प्रशासन को किसी भी दुर्घटना से बचने में मदद मिलेगी एवं बहुत-सी जिन्दगी को बचाया जा सकता है ।